



2026:AHC:39518

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट ए संख्या – 2606/2026

संदीप सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आर्या गौतम, अतिप्रिय गौतम, प्रत्युष श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवर

1. सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव (पंजीकरण संख्या ए/वी0236/26) को सुना गया, जो सुश्री अतिप्रिया गौतम, याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता के पक्ष में पेश हुई, तथा श्री गौरव सिंह, विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता दावा करता है कि उसकी नियुक्ति पी.ए.सी. (प्रांतीय सशस्त्र कंपनी) में कांस्टेबल के पद पर 9 दिसम्बर 2019 को हुई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता दिनांक 06.05.2025, 10.03.2025, 06.03.2025, 19.12.2020, 03.10.2017 एवं 22.06.2017 की परिपत्र (सर्कुलर) के परिप्रेक्ष्य में, अपने अनुरोध पर दयाजनक आधारों (कंपैशनेट ग्राउंड्स) पर, 37वीं बटालियन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पी.ए.सी., झांसी क्षेत्र, झांसी से महिला थाना, जालौन, उरई में स्थानांतरण चाहता है, जहाँ याचिकाकर्ता की पत्नी तैनात है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जो कुछ भी हो सकता है, जिन परिपत्रों पर रिट याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहता है, वे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अनुसार, दिनांक 24 मई 2019 की एक नीति विद्यमान है। जिस राहत के लिए रिट याचिकाकर्ता ने राहत मांगी है, उसके लिए शायद ही कोई ऐसा प्रावधान है। तथापि, याचिकाकर्ता के दावे का निर्धारण प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

4. न्यायाधीश पीठ के समक्ष इस प्रकार किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए किया जाता है, जो उक्त प्रार्थना पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के अनुसार सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 4 यह पाता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो अभिलेख (पेपर्स) रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के पश्चात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

23 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवर)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”